समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (क
फैक्स न0–0612–22189
Email : dampatnaarmssection@gmail.c
dm-patna.bih@nic

26-07-2013

–: आदेश :–

आवेदक **श्री मुकेश कुमार सिंह,** पिता–श्री अनिल कुमार सिंह, सा0–सो गोपालपुर, पो0–सोना गोपालपुर, थाना–गोपालपुर, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0ब रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–418/20 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई व गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–26.07.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे व्यवसाय करते हैं। उनके द्वा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1464/गो0, दिनांक–15.07.20 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित व आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना द्वा थानाध्यक्ष, गोपालपुर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवे पत्र को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, गोपाल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक व्यवसाय करते हैं। उनके द्वारा अपने जान–मा की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अ जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्ति वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्व उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री मुकेश कुमार सि पिता–श्री अनिल कुमार सिंह, सा0–सोना गोपालपुर, पो0–सोना गोपालपुर, थान गोपालपुर, जिला–पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बि

राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।